

नाथक  
न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) नोखा जिला बीकानेर

मिस्त्र नं. 29 सन 2019  
स्टेट मरिये पटवारी हल्का दावा बनाम मदनलाल गोपालराम  
पुत्र श्री भवरलाल  
जाति नाथक  
निवासी दावा

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत  
निर्णय दिनांक 5/2/19

आज पत्रावली पेश हुई। प्रकरण अनुसार पटवारी हल्का दावा द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई कि अप्रार्थी श्री मदनलाल गोपालराम पुत्र श्री भवरलाल जाति नाथक निवासी दावा ने खसरा नंबर 1614/128 तादादी 0.76 वाके रोही दावा किस्म 812 में संवत् 2075 में किस्म नाजायज कब्जा/काश्त करके अतिक्रमण किया है। उक्त रिपोर्ट की गिरदावर हल्का द्वारा जांच की जाकर पेश की गई। जिसे दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी श्री मदनलाल गोपालराम पुत्र श्री भवरलाल जाति नाथक निवासी दावा को राजस्थान भू-अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। गैर सायल श्री मदनलाल गोपालराम उपस्थिति/अनुपस्थिति। गैर सायल की तरफ से सबूत में कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थी श्री मदनलाल गोपालराम द्वारा खसरा नंबर 1614/128 तादादी 0.76 गोचर/जोहड़ पायतन/अराजीराज/गै.मु.सड़क/रास्ता वाके रोही दावा में संवत् 2075 में नाजायज कब्जा/काश्त कर अतिक्रमण करने पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। श्री मदनलाल गोपालराम को अतिक्रमिit रकबे से बेदखल किया जाकर कब्जा बहक सरकार लेने एवं शरह पड़त सालाना तावान 1 रकबा 0.76 का 50 गुणा बतौर शास्ति 38 /-रु. कायम की जाकर वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं। गिरदावर हल्का व पटवारी हल्का को लिखा जावे कि मौके पर पहुंच कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तहसील राजस्व लेखाकार को शास्ति की मांग कायमी हेतु तथा पटवारी हल्का को आरोपित शास्ति वसूली करने हेतु लिखा जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पालना रिपोर्ट तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 5/2/19 को खुले ईजलास न्यायालय में सुनाया गया।

नाथक तहसीलदार नोखा

सं. 2018-19 की पृष्ठ सं. 80  
को सं. 38 का कायम/को सं.

12  
तहसीलदार नोखा